

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

कमांक:एफ.17(ई)( )ग्राविप/प्रशा.2/बीएफसी/09-10/3815

जयपुर,दिनांक:24-12-12

**: संशोधित आदेश :**

विभागीय आदेश कमांक :एफ.17(ई)( )ग्राविप/प्रशा.2/बीएफसी/09-10/2610 दिनांक 31.08.2012 द्वारा बजट घोषणा 2012-13 के बिन्दु संख्या 87 की अनुपालना में जिला परिषद/ पंचायत समिति कार्यालयों में नवीन पद सृजित किये गये थे। उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

1. क.सं. 1 पर सृजित प्रोग्रामर के पद को विलोपित किया जाकर सहायक प्रोग्रामर के पद निम्नानुसार सृजित किये जाते हैं-

क. सं.	पद का नाम	वेतनमान/ पे-बेण्ड	जिला परिषद कार्यालय	पंचायत समिति कार्यालय
1.	सहायक प्रोग्रामर	9300-34800 GP 3200	33 (प्रत्येक जिला परिषद में 1-1 पद)	-

2. विभागीय आदेश दिनांक 31.8.12 की कम 2 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

क. सं.	पद का नाम	वेतनमान/ पे-बेण्ड व ग्रेड पे	संशोधित वेतन पे-बेण्ड ग्रेड पे	
1.	सहायक कार्यक्रम अधिकारी	9300-34800 GP 4200	9300-34800 GP 3200	-

बजट मद एवं अन्य शर्तें यथावत रहेंगे।

यह संशोधित आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 331200815/FD/E-5/2012 दिनांक 14.12.2012 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
- 4 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 5 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, राज. जयपुर।
- 6 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
- 7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर।
- 8 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
- 9 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
- 10 निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
- 11 निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज. जयपुर।
- 12 निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कनिष्ठ लेखाकार के स्वीकृत उक्त पदों पर शीघ्रातिशीघ्र कार्मिक पदस्थापित करवाना सुनिश्चित करावें।
- 13 मुख्य लेखाधिकारी (मुख्यालय)
- 14 शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग को उनकी आई.डी. संख्या 331200815/FD/E-5/2012 दिनांक 14-12-2012 के अनुसरण में
- 15 समस्त जिला कलेक्टर
- 16 समस्त अधिकारीगण (मुख्यालय)
- 17 समस्त मुख्य / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
- 18 समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति
- 19 प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल / कैरिश्मा प्रोजेक्ट (मुख्यालय)
- 20 सहायक लेखाधिकारी, बजट (मुख्यालय)
- 21 संबंधित संस्थापन्न लिपिक (मुख्यालय)
- 22 आदेश / रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव (प्रशा-2)